न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

प्रार्थना पत्र संख्या 28 वर्ष 2016

रामलाल उर्फ रामा पुत्र भेरू जाति माली निवासी बनेठा तहसील उनियारा

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

आदेश प्रार्थना 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
12.3.2016	पत्रावली पेश हुयी । प्रार्थी के वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा उपस्थित। पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा खाता संख्या 650 मे भेरू पुत्र रामा दर्ज है। छाया प्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र मे रामलाल पुत्र भेरूलाल दर्ज है। प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत बनेठा के अनुसार राजस्व रेकार्ड मे त्रूटी से भेरू पुत्र रामा गलत दर्ज हो गया जबकि सही नाम रामा उर्फ रामलाल पुत्र भेरू माली है। पेरोकार सरकार ने भी अपने जवाब मे राजस्व रेकार्ड मे खाता संख्या दर्ज भेरू पुत्र रामलाल के स्थान पर रामा उर्फ रामलाल पुत्र भेरू दर्ज किये जाने मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत नही की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे खाता संख्या 650 वाके ग्राम बनेठा मे दर्ज भेरू पुत्र रामलाल के स्थान पर रामा उर्फ रामलाल पुत्र भेरू दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे। पालना हेतु तहसीलदार उनियारा को लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक	

Scanned by CamScanner